इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2012—चैत्र 1, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. 7760-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 21 मार्च 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१२

मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, २०१२

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ३ का संशोधन.

४. धारा ४ का संशोधन.

५. धारा ५ का संशोधन.

६. धारा ६ का संशोधन.

७. धारा ७ का स्थापन.

८. धारा १० का स्थापन.

९. धारा १२ का स्थापन.

१०. धारा २१ का संशोधन.

११. धारा २२ का हटाया जाना.

१२. धारा २३ का संशोधन.

१३. धारा २५ का संशोधन.

१४. धारा २६ का संशोधन.

१५. धारा २७ का संशोधन.

१६. धारा २८ का संशोधन.

१७. धारा २९ का संशोधन.

१८. धारा ३० का संशोधन.

१९. धारा ३२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१२

मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्रमांक १५ सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ञ) ''स्कूल प्रबंधन समिति'' से अभिप्रेत है, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (२००९ का ३५) के उपबंधों के अधीन गठित स्कूल प्रबंधन समिति;''.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (३) में, अंक तथा शब्द ''५ वर्ष'', के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''६ वर्ष'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में, अंक ''५'' के स्थान पर, अंक ''६'' स्थापित किया जाए.

धारा ५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (२) में, शब्द ''अभिभावक शिक्षक संघ'' के स्थान पर, शब्द ''स्कूल प्रबंधन समिति'' स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) का लोप किया जाए.

धारा ७ का स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित नई धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

किसी स्कूल की समय-सूची, शैक्षणिक दिवस आदि.

''७. किसी स्कूल की समय-सूची, शैक्षणिक दिवस आदि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (२००९ का ३५) की अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे.''.

धारा १० का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित नई धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अशैक्षिणक कार्यों के लिए शिक्षकों का अभिनियोजन न किया जाना.

''१०. किसी भी शिक्षक का दस वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों तथा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधान-मण्डल तथा संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी अशैक्षणिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजन नहीं किया जाएगा.''.

धारा १२ का स्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर, निम्नलिखित नई धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

स्कूल प्रबंधन समिति.

''१२. प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल प्रबंधन समिति होगी. स्कूल प्रबंधन समिति का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (२००९ का ३५) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं.''.

धारा २१ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित नई उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) राज्य स्तर पर एक राज्य शिक्षा केन्द्र होगा. राज्य स्तर पर, जन शिक्षा योजना के समन्वयन, पर्यवेक्षण और सहायता के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र उत्तरदायी होगा.''.

धारा २२ का हटाया जाना.

११. मूल अधिनियम की धारा २२ का लोप किया जाए.

धारा २३ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक ''५'' के स्थान पर, अंक ''६'' स्थापित किया जाए तथा शब्द ''अभिभावक शिक्षक संघ'' के स्थान पर, शब्द'' ''स्कूल प्रबंधन समिति'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''अभिभावक शिक्षक संघ'' के स्थान पर, शब्द ''स्कूल प्रबंधन समिति'' स्थापित किए जाएं.

धारा २५ का संशोधन.

१३. (१) मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (२) तथा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित नई उपधाराएं क्रमश: स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(२) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (२००९ का ३५) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए मूल पाठ्यचर्या और शैक्षणिक योजना तैयार करेगा.

(३) पाठ्यचर्या के विकास की रीति, पाठ्यचर्या के संव्यवहार तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (२००९ का ३५) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.''.

धारा २६ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा २६ में, उपधारा (२) में, शब्द अभिभावक शिक्षक संघ'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''स्कूल प्रबंधन समिति'' स्थापिए किए जाएं.

धारा २७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा २७ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) राज्य सरकार, प्रारंभिक शिक्षा के लिए मानव स्वयंसेवक संसाधन सहायता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी. ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को, जो स्थानीय निवासी हैं, शिक्षा समिति/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित स्कूल प्रबंधन समिति के विनिश्चय के आधार पर सूचीबद्ध स्थानीय स्कूलों में, पारिश्रमिक के बिना स्वैच्छिक अध्यापन के लिए नामांकित किया जा सकता है.'';

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''अभिभावक शिक्षक संघ'' के स्थान पर, शब्द ''स्कूल प्रबंधन समिति'' स्थापित किए जाएं.

धारा २८ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित नई उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) जब ६ से १४ वर्ष की आयु समूह के किसी भी बालक को ऐसे स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है, तब उस बालक को शिक्षक द्वारा उसकी आयु के अनुसार श्रेणी में रखा जाएगा.

धारा २९ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा २९ में, अंक "५" के स्थान पर अंक "६" स्थापित किया जाए.

धारा ३० का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) में, शब्द "अभिभावक शिक्षक संघ" के स्थान पर, शब्द "स्कूल प्रबंधन समिति" स्थापित किए जाएं.

धारा ३२ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, शब्द "अभिभावक शिक्षक संघ" के स्थान पर, शब्द "स्कूल प्रबंधन समिति" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१-क में गारंटी प्राप्त मौलिक अधिकार है, "नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (२००९ का ३५)" के नाम से एक विधि अधिनियमित की है. इस अधिनियम में छह वर्ष से चौदह वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का समावेश है. यह अधिनियम १ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुआ है. बालकों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने की संविधान की कल्पना को पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश में भी एक विधायन है. इस विधायन का नाम "मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्रमांक १५ सन् २००२)" है. केन्द्रीय विधायन का अनुसरण करने के कारण राज्य के अधिनियम को केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिये उसे संशोधित करना अनिवार्य हो गया है. इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से "मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२" में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ९ मार्च, २०१२

अर्चना चिटनीस
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2012—चैत्र 2, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 1796-104-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6, सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 6 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH JAN SHIKSHA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3
4. Amendment of Section 4
5. Amendment of Section 5
6. Amendment of Section 6.
7. Substitution of Section 7.
8. Substitution of Section 10.
9. Substitution of Section 12.
10. Amendment of Section 21.
11. Deletion of Section 22.
12. Amendment of Section 23.
13. Amendment of Section 25.
14. Amendment of Section 26.
15. Amendment of Section 27.
16. Amendment of Section 28.
17. Amendment of Section 29.
18. Amendment of Section 30.
19. Amendment of Section 32.

MADHYA PRADESH BILL
No. 6 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH JAN SHIKSHA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Jan Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002 (No. 15 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely :—

"(j) "School Management Committee" means school management committee constituted under the provision of the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009);".

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the Principal Act, in sub-section (3), for the figure and word " 5 years", the figure and word "6 years" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the Principal Act, in sub-section (1), for the figure " 5", the figure " 6" shall be substituted.

Amendment of Section 5.

5. In Section 5 of the Principal Act, in sub-section (2), for the words "Parent Teacher Association", the words "School Management Committee" shall be substituted.

Amendment of Section 6.

6. In Section 6 of the Principal Act, sub-section (2) shall be deleted.

Substitution of Section 7.

7. For Section 7 of the Principal Act, the following new Section shall be substituted, namely:—

Schedule of time academic days etc. of a school.

"7. The schedule of time, academic days etc. of a school shall be as specified under the Schedule to the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009).".

Substitution of Section 10.

8. For Section 10 of the Principal Act, the following new Section shall be substituted, namely :—

Non deployment of teacher for non-educational work.

"10. No teacher shall be deployed for any non-educational purpose other than the decennial population census, disaster relief duties and duties relating to elections of the local authority, the State Legislature and parliament .".

Substitution of Section 12

9. For Section 12 of the Principal Act, the following new Section shall be substituted, namely :—

School Management Committee.

"12. In every school their shall be a School Management Committee. The constitution and functions of the School Management Committee shall be such as specified in the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009).".

Amendment of Section 21.

10. In Section 21 of the Principal Act, for sub-section (1), the following new sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be a Rajya Shiksha Kendra at State level. The Rajya Shiksha Kendra shall be responsible for coordination, supervision and support of the Jan Shiksha Yojna at the State leve.".

11. Section 22 of the Principal Act shall be deleted. **Deletion of Section 22.**

12. In Section 23 of the Principal Act, **Amendment of Section 23.**

(i) in sub-section (1), for the figure " 5", the figure " 6" shall be substituted and for the words "Parent Teacher Association", the words "School Management Committee" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "Parent Teacher Association", the words "School Management Committee" shall be substituted.

13. In Section 25 of the Principal Act, for sub-sections (2) and (3), the following new sub-sections shall respectively be substituted, namely :— **Amendment of Section 25.**

"(2) Academic authority notified under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009) shall prepare the core curriculum and academic plan for the elementary level education.

(3) The manner of curriculum development, transaction of curriculum and evaluation process shall be such as specified by the academic authority notified under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009) .".

14. In Section 26 of the Principal Act, in sub-section (2), for the words "Parent Teacher Association" wherever they occur, the words "School Management Committee" shall be substituted. **Amendment of Section 26.**

15. In Section 27 of the Principal Act, — **Amendment of Section 27.**

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(i) The State Government shall endeavor to encourage human volunteer resource support to elementary education. Retired teachers who are local residents can be enrolled for voluntary teaching free of remuneration in local schools enlisted on the basis of decision by School Management Committee approved by Education Committee/Urban local body.".

(ii) In sub-section (2), for the words " The Parent Teacher Association", the words " The School Management Committee" shall be substituted.

16. In Section 28 of the Principal Act, for sub-section (3), the following new sub-section shall be substituted namely :— **Amendment of Section 28.**

"(3) When a child of the age group of 6 to 14 years is admitted in a school which provides elementary education, then that child will be placed in a grade according to his age by the teacher.".

17. In Section 29 of the Principal Act, for the figure " 5", the figure "6" shall be substituted. **Amendment of Section 29.**

18. In Section 30 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words "Parent Teacher Association", the words "School Management Committee" shall be substituted. **Amendment of Section 30.**

19. In Section 32 of the Principal Act, for the words "Parent Teacher Association", the words "School Management Committee" shall be substituted. **Amendment of Section 32.**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the context of the Right to Education, which is a fundamental right guaranteed in article 21-A of the Constitution of India, the Government of India has enacted a law called "Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009" (No. 35 of 2009). This Act covers free and compulsory elementary education to the children of the age of six to fourteen years. The Act has come into force from 1st April 2010. Madhya Pradesh also has a legislation to fulfill the constitutional vision of providing elementary education to the children. This legislation is called "Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002" (No. 15 of 2002). Following the Central legislation, it has become imperative to amend the State Act to make it in consonance with the Central Act. With a view to achieve this object, suitable amendments in the " Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002" have been proposed.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 9th March, 2012.

ARCHANA CHITNIS
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.